

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 07/12/2015 को अ.ख.लो.नि.वि. गौचर.(एजेन्सी का नाम) के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

बनाये जाने वाले मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश गुसाई, (वन आरक्षी कालेश्वर, नंदप्रयाग रेंज) श्री लक्ष्मीप्रसाद नैनवाल (अनुभाग अधिकारी, कालेश्वर/कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग रेंज) राजस्व विभाग की ओर से (पटवारी क्षेत्र), प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री अमित कुमार पटेल (सहायक अभियन्ता), श्री ताजवर सिंह गुसाई (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री मुरलीधर मैखुरी (कार्य अभिकर्ता) अन्य दावेदारों की ओर से स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री..... (ग्राम पंचायत) के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखण के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखण/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है। नाप भूमि 3.700 (कि०मी०), सिविल वन भूमि 0.300 (कि०मी०), वन पंचायत भूमि 1.50 (कि०मी०), आरक्षित वन भूमि 2.40 (कि०मी०) प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल लम्बाई 7.900 कि०मी०, जिसमें से सिविल वन भूमि 0.210 हे०, वन पंचायत भूमि 1.05 हे०, आरक्षित वन भूमि 1.680 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल 3.09 हे० के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग 366 वृक्ष चीड़, खड़ीक, कुकाट, काफल, तुन, भीमल, बांज, मेहल, कचनार प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। जिनमें से बांज प्रजाति के 51 वृक्ष प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण वन पंचायत से गुजरेंगा। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान है तथा यह स्थल 30° 17' 26.28"N, 79° 12' 27.12"E से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल 30° 16' 20.18"N, 79° 17' 58.30"E है जिसका GPS मान है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान हैं।

चयनित समरेखण में कुल 366 पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पर्व/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/नहीं है।

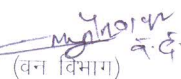
चयनित उपयुक्त स्थल पर 7.900 कि०मी० के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उनके निस्तारण हेतु 10 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं। जिनका GPS मान (79° 17' 19.67"N, 30° 17' 20.64"E), (30° 17' 14.34"N, 79° 17' 44.96"E), (30° 17' 13.00"N, 79° 17' 31.76"E), (30° 16' 57.51"N, 79° 17' 37.73"E), (30° 16' 51.61"N, 79° 17' 37.44"E), (30° 16' 39.68"N, 79° 18' 3.72"E), (30° 16' 23.43"N, 79° 17' 45.20"E), (30° 16' 7.69"N, 79° 17' 52.55"E) अन्य आवश्यक विवरण-संलग्न हैं।

हस्ताक्षर

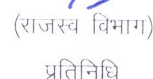
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि



हस्ताक्षर


(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर


(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर

(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर


(जनप्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted, under FCA)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer P.W.D. Gauchar** for diversion under FCA&1980 of ----- **ha.** Of vanpanchayat land non-forstry purpose. The Project envisages of forest land for construction **Langasu-Niwari-Khet-Silangi Motar Road.** The Site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a **RF/PF/un** classed/Protected **1.680 ha.** Van panchayat forest- **1.05 ha.** Civil Land **0.210...ha.** Muck Disposal **-0.150 .ha.** Total measuring **3.09. ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endanged/unique species pf flora and fauna in the area. If, so the details there for. **Not Applicable,**

Whether any protected archeological/ heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with **NOC** from competent authority, if required.- **Not Applicable.**

(a) The user agency has not Violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

The Proposat is recommended.

(Signature)

Place..Gopeshwar

Date.../.../

Name

Designation. D.F.O. Badrinath

N.B. x State the purpost for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not option which is not applicable.

As per letter number-22/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry fo Environment & Forest,Governmetnt of India for proposed involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more then 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forest is required.